न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 116/2020 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 03.07.2020

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादसोड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी
–प्रार्थी

बनाम

1–श्री शान्तिलाल आचार्य पुत्र श्री लेहरीलाल आचार्य के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगणः–
1/1–श्रीमति बबली देवी पत्नि स्व. श्री शान्लिाल आचार्य
1/2–सुश्री भावना पुत्री स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य जरिये संरक्षक श्रीमति बबली देवी पत्नि स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य
1/3–सुश्री वन्दना पुत्री स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य जरिये संरक्षक श्रीमति बबली देवी पत्नि स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य
1/4–सुश्री रोली पुत्री स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य जरिये संरक्षक श्रीमति बबली देवी पत्नि स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य
1/5–श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य जरिये संरक्षक श्रीमति बबली देवी पत्नि स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य
1/6–श्री जयदीप पुत्र स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य जरिये संरक्षक श्रीमति बबली देवी पत्नि स्व. श्री शान्तिलाल आचार्य

गारण्टर

2–श्री जानकीलाल पुत्र श्री बंशीलाल स्वर्णकार के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगणः–
2/1–श्रीमति गायत्री पत्नि स्व. श्री जानकीलाल
2/2–श्री राधव पुत्र स्व. श्री जानकीलाल जरिये संरक्षक श्रीमति गायत्री पत्नि स्व. श्री जानकीलाल
2/3–सुश्री दुर्गा पुत्री स्व. श्री जानकीलाल जरिये संरक्षक श्रीमति गायत्री पत्नि स्व. श्री जानकीलाल
3–श्री पीरूलाल खटीक पुत्र श्री कन्हैयालाल
4–श्री श्यामलाल आचार्य पुत्र श्री बाबूलाल
5–श्री पिन्टू आचार्य पुत्र श्री लेहरीलाल आचार्य
सभी निवासीगण ग्राम भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1– श्री आर. पी. सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 116/2020 (रे.वि.)
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादसोड़ा बनाम श्री शान्तिलाल आचार्य के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण वगैरा

आदेश

दिनांक 18.08.2020

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को टर्म लोन खाते में राशि 26,50,000/- रू. एवं ओवर ड्राफ्ट लोन खाते में राशि 2,00,000/- रू. इस प्रकार दोनों खातों में कुल राशि रूपये 28,50,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्री पिन्टू आचार्य पुत्र श्री लेहरी लाल आचार्य की आराजी नं. 1155/3 ख, ग्राम भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थित व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 990.90 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिकेशन ऑफ स्टॉक इत्यादि

पूर्व में	:-	भूमि	पश्चिम में	:-	रोड़
उत्तर में	:-	संपरिवर्तित भूमि आराजी नं. 1155/3 क	दक्षिण में	:-	कृषि भूमि

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 23.05.2019 तक टर्म लोन खाते में राशि 9,24,934.13 रू. + ओवर ड्राफ्ट लोन खाते में राशि 2,09,820.32 रू. इस प्रकार दोनों खातों में कुल राशि रूपये 11,34,754.45/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

न्यायालय कलक्टर पूर्व जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक 'द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

18/8/2020

(के. के. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official